

# ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. हरिराम पुत्र घीसाराम जाति अहीर निवासी झिराना तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर राज.।

- वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 772/2025

जीसीएमएस नं0 2025/1505

आदेश

दिनांक- 26/11/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम झिराना तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 17 में वादीगण का गलत दर्ज नाम "हरिराम, मुकेश कुमार, रामस्वरूप पुत्रगण घीसाराम, पिकी, रमेशी पुत्रियां घीसाराम, मिश्री देवी पत्नी घीसाराम, जाति स्वामी" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "हरिराम, मुकेश कुमार, रामस्वरूप पुत्रगण घीसा राम, पिकी, रमेशी पुत्रियां घीसा राम, मिश्री देवी पत्नी घीसा राम, जाति अहीर" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

मुद्रा



*(Handwritten signature)*

(राजवीर सिंह यादव)

उपखण्ड अधिकारी

राजवीर सिंह यादव

उपखण्ड अधिकारी

नीमकाथाना (सीकर)

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)

बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

- हरिराम पुत्र घीसाराम जाति अहीर निवासी झिराना तहसील नीमकाथाना, सीकर राज.।

-वादीगण

बनाम

- तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा व दुरुस्ती रिकार्ड

मुकदमा नं. 772 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी वादी स्वयं मिनजानिब मुद्ई रुबरु ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम झिराना तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 17 में वादीगण का गलत दर्ज नाम "हरिराम, मुकेश कुमार, रामस्वरूप पुत्रगण घीसाराम, पिंकी, रमेशी पुत्रियां घीसाराम, मिश्री देवी पत्नी घीसाराम, जाति स्वामी" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "हरिराम, मुकेश कुमार, रामस्वरूप पुत्रगण घीसा राम, पिंकी, रमेशी पुत्रियां घीसा राम, मिश्री देवी पत्नी घीसा राम, जाति अहीर" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें। बसवत मेरे दस्तावेजात व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 11 सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर



दस्तावेजात.....  
राजवीर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुताफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुताफरिक मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।